

खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद।

पत्रांक:- 31/3/15/न0नि0

सेवा में,

श्री आनन्द कुमार पिता-श्री सुरेश कुमार सिंह 2. श्री सुरेश कुमार सिंह
पिता/श्री स्व० रघुनन्दन सिंह 3. श्री महेन्द्र सिंह पिता-श्री काशी सिंह,
श्री 4. श्री जीम प्रकाश सिंह पिता-श्री महेन्द्र सिंह 5. श्री मनीष कुमार
पिता-श्री सुरेश कुमार सिंह, काली मन्दिर रोड, वैद्यारबान्ध, धनबाद।
धनबाद, दिनांक:- 31/3/15

विषय:- आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक/संस्थागत भवन निर्माण हेतु गृह प्लान केश नं० बी०डी०- 804/14-15
संबंधी आपके आवेदन दिनांक- 20.2.15 के संबंध में।

महाशय,

9098, 9099, 2598,

414, 416, 417, 419, 138,

आपके आवेदन, दलील संख्या- 2586, दाखिल खारिज अभिलेख संख्या- 137-1-11-13-14
जमाबंदी संख्या- 1932 से 1934, से निर्मित लागान रसीद वर्ष 14-15 की अभिप्रमाणित प्रति, शपथ पत्र एवं
Indemnity Bond एवं तकनीकी तैयारी द्वारा नकशे एवं अनुशंसा के शालोक में आपके द्वारा प्रस्तुत आवासीय/
व्यवसायिक/ औद्योगिक/ संस्थागत भवन संबंधी बी०डी० केश नं०- 804/14-15 के नकशे की स्वीकृति प्रबन्ध निदेशक
खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद द्वारा प्रदान की गई है।

निदेशानुसार सूचित करना है कि नक्शा नं०- 54 मौजा अन्तर्गत खाल नं०- 54
प्लॉट नं०- 1390 संख्या 13279 परमिट भूमि पर स्वीकृत नकशे के
अनुसार लाईसेंस अभियन्ता श्री. श्री अजित कुमार की देख-रेख में कार्यारम्भ के पूर्व निर्धारित प्रपत्र में
अधोहस्ताक्षरी को कार्यारम्भ की जानकारी उपलब्ध करायेंगे। स्वीकृत नकशे के अनुसार अधिकतम 2 (दो) वर्षों में कार्य पूर्ण कर
अधिनियम के प्रावधानों के तहत निर्माण पूरा होने की लिखित जानकारी अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे।
प्रबन्ध निदेशक के लिखित पूर्वानुमति के बगैर किये गये किसी भी विचलित निर्माण को नियमित नहीं किया जा सकेगा,
यत्कि उससे तोड़ना ही एकमात्र विकल्प होगा।

खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार के संबंधित पदाधिकारी से निर्माण कार्य का निरीक्षण समय-समय पर कराना सुनिश्चित
करें।

आप स्वीकृत नकशे में दर्शाये नाली से हटकर अन्य नाली का निर्माण नहीं करेंगे।

मौजा भवन विनियमन के दायरे में आवासीय/ व्यवसायिक/ औद्योगिक/ संस्थागत भवन निर्माण हेतु स्वीकृत नक्शा स्वत्व
अधिकार एवं दखल का प्रमाण नहीं है।

जिस प्रयोजन के लिये भवन निर्माण का नक्शा किया गया है निर्मित भवन का व्यवहार उसी प्रयोजन के लिये किया जा
सकेगा। भवन प्लान की स्वीकृति से आवेदक का प्ररनगत भूमि पर भुस्वामित्व का प्रमाण स्थापित नहीं होगा।

जल संरक्षण एवं पर्यावरण सुरक्षा हेतु आवश्यक प्रबंध के लिये आप स्वयं जिम्मेवार रहेंगे तथा स्वीकृति आदेश राज्य
सरकार/ नेशनल वॉल्टेजिंग कोड के अद्यतन आदेशों, निर्देशों एवं प्रावधानों से स्वतः प्रभावित होगा।

आवेदक द्वारा उपकर के मद में 25% कुल रू० 24,800/- जमा किया गया है। शेष राशि आवेदक द्वारा
सहायक भ्रमायुक्त धनबाद के कार्यालय में जमा करना स्वयं सुनिश्चित करेंगे।

स्टव्चर डिजायन, सोवायल टेस्ट रिपोर्ट काम शुरू करने के पहले या 60 दिनों के अन्दर जमा नहीं करने पर निर्माण कार्य
स्थगित करना पड़ेगा।

साहचर्य, नगर निवेशक

खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार,

धनबाद

Arund

31/3/15

31/3/15